

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी- किरसाल मोटर मार्ग में खेत गंधेरे से खेती जखेट चौरासैण तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.050 हे० वन पंचायत भूमि, सिविल वन भूमि 0.210 हे० एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.150 कुल 1.410 हे० वन पंचायत भूमि /सिविल वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेती गंधेरे से खेती-जखेट-चौरासैण तक मोटर मार्ग की स्वीकृत शासनादेश संख्या 171/111(2)/06-42 (प्रा०आ०)/2007 दिनांक 17.1.2008 एवं 48/111(2)/06-42(प्रा०आ०)/07 दिनांक 24.3.2008 के द्वारा 5 कि०मी० लम्बाई हेतु लागत रु० 183.75 लाख की प्राप्त हुई हैं। प्रस्तावित मोटर मार्ग कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग के कि०मी० 34 से प्रारम्भ हो कर ग्राम जखेट तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम खेती एवं जखेट प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र यातायात से जुड़ जायेंगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील आदिबंदी कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम आरक्षित/सिविल/वन पंचायत भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

2-वन पंचायत भूमि 1.500 कि०मी० x 7 मी०	=	1.050 हे०
सिविल वन भूमि 0.300 कि०मी० x 7 मी०		0.210 हे०
3-नाप भूमि 3.200 कि०मी० x 7मी०	=	2.240 हे०
5-मक डिस्पोजल हेतु	=	0.150 हे०
योग	=	3.650 हे० ।

अतः मार्ग निर्माण हेतु 1.050 हे० वन पंचायत भूमि , 0.210 हे० सिविल वन भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल 1.410 हे० वन पंचायत भूमि/सिविल वन भूमि का प्रस्ताव गठित कर लो०नि०वि० को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।



अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर



सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर



अधिशारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर